उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-02
संख्या-I/1498869/2026-2041256
लखनऊ, दिनांक : 21-10-2026

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने तथा औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु अधिसूचना संख्या-374/36-2-2026-2041256, दिनांक 17-04-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3(ख) के अन्तर्गत अन्तरित राहत के रूप में 74 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों निर्धारित की गयी हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 17-04-2026 द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के आधार पर माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 के औसत 400 अंकों तक निष्प्रभावी करते हुए जारी की गयी है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के 400 अंकों के औसत के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी करते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर में क्रमश: पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं प्रश्नगत वर्ष के जनवरी से जून माह के औसत सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अनुक्रम में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक के औसत अंक 431 पर दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टांत की भांति आगणित करते हुए मजदूरी के साथ देय होगा-

दृष्टांत (431 - 400)/400 x12885 (मूल वेतन) = 998.59

सारणी

गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दर (श्रेणी-प्रथम)

श्रेणी	दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी मूल मजदूरी (₹)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक (रूपये में)	मासिक मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (1/26) (रूपये में)
अकुशल	12885	998.59	13883.59	533.98
अर्द्धकुशल	14173	1098.41	15271.41	587.36
कुशल	15876	1230.39	17106.39	657.94

उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जिलों हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दर (श्रेणी-द्वितीय)

श्रेणी	दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी मूल मजदूरी (₹)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक (रूपये में)	मासिक मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (1/26) (रूपये में)
अकुशल	12241	948.68	13189.68	507.30
अर्द्धकुशल	13464	1043.46	14507.46	557.98
कुशल	15082	1168.86	16250.86	625.03

उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जिलों से भिन्न जिलों हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दर (श्रेणी-तृतीय)

श्रेणी	दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी मूल मजदूरी (₹)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक (रूपये में)	मासिक मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (1/26) (रूपये में)
अकुशल	11629	901.25	12530.25	481.93
अर्द्धकुशल	12791	991.30	13782.30	530.09
कुशल	14328	1110.42	15438.42	593.79

टिप्पणी-

(1) न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को संदेय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की संगणना प्रत्येक वर्ष एक बार 01 अप्रैल के पूर्व और तत्पश्चात 01 अक्टूबर के पूर्व श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मकारों के लिए प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक पर विचार करते हुए की जाएगी।

(2) मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

(3) ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है तो उसे अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घण्टेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के आठवें भाग से कम न होगी।

(4) मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जाएगा और उनका भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निर्धारित किया गया है।

(5) यदि कोई कार्य मात्रानुपाती दर पर किया/कराया जा रहा है तो ऐसे कार्य के लिए प्रत्याभूत दर निर्धारित कालानुपाती दर होगी।

(6) यदि कोई नियोजक ठेका श्रम के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके या उसके बिना ठेका श्रमिक के माध्यम से नियोजन के किसी कार्य को कराता है तो ऐसा श्रमिक संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट-1947 (संयुक्त प्रान्त एक्ट संख्या 28 सन् 1947) की धारा-2 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (चार) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-9 की दृष्टि से नियोजक द्वारा सीधे रखा गया श्रमिक समझा जायेगा और वह उन्हीं दरों पर मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।
(7) किशोरों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।
(8) ऊपर विनिश्चित की गयी मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर में मजदूरी संहिता 2019 की धारा-13 के अधीन अनुज्ञात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

भवदीय

(कुणाल सिल्कू)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-1579/आई0आर0डी0-2026, दिनांक 30-09-2026 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)।
(5) समस्त अनुभाग, श्रम विभाग।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अवनीन्द्र कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव।